



Neutral Citation No. 2026:AHC:167041

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या – 4799 वर्ष 2026

विमल कुमार उर्फ विमल सोनी

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(यों)

---

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| आवेदक(कों) के अधिवक्ता   | : | राकेश कुमार दुबे, |
| विपक्षी(यों) के अधिवक्ता | : | शासकीय अधिवक्ता   |

---

न्यायालय संख्या – 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार दुबे और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर एन श्रीवास्तव को सुना।
2. यह जमानत आवेदन मामला अपराध संख्या 131 वर्ष 2024 में आईपीसी की धारा 302, 201, 328, 366 के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली, जिला कानपुर नगर में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 24.06.2024 को मामले के शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अगले दिन उसने आवेदक के खिलाफ इस मामले की एफआईआर इस आरोप के साथ दर्ज कराई कि उसे संदेह है कि आवेदक उसकी पत्नी को ले गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब दिनांक 25.01.2024 की एफआईआर के आधार पर चार महीने बाद आवेदक को 26.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था, तो अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके बताए अनुसार मृतक का कंकाल बरामद किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि पूरी बरामदगी झूठी और निराधार है।
5. वह आगे प्रस्तुत करता हैं कि यद्यपि मामले का विचारण उन्नत चरण में है और आरोपी यानी आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पहले ही दर्ज किया जा चुका है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और वर्तमान मामले में आवेदक पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से जेल में है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत करता है कि चूंकि मामले का विचारण उन्नत चरण में है और यहां तक कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान भी दर्ज किया जा चुका है, इसलिए इतनी देर से आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि विचारण न्यायालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर विचारण पूरी करने का निर्देश दिया जाए।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



8. हालांकि, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक द्वारा बताए जाने पर मृतक के शरीर का कंकाल बरामद किया गया था।

9. इसके अलावा, मामले का विचारण भी उन्नत चरण में है और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है, इसलिए मेरी राय में इस स्तर पर आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं है।

10 अतः, तत्काल जमानत आवेदन **खारिज किया जाता है।**

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12. हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक पिछले डेढ़ वर्ष से जेल में है और मामले का विचारण उन्नत चरण में है, विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, अधिमानतः इस आदेश के प्रस्तुत किए जाने/जानकारी की तिथि से छह महीने के भीतर, प्रतिदिन के आधार पर यथाशीघ्र विचारण समाप्त करे।

13. यदि इस आदेश के प्रस्तुत किए जाने/जानकारी मिलने की तिथि से छह महीने के भीतर मामले का विचारण पूरी नहीं होती है तो यह आवेदक को सशर्त जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने की अनुमति है, बशर्ते कि वह विचारण में देरी के लिए जिम्मेदार न हो।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



14. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश की सूचना संबंधित जिला न्यायाधीश को 48 घंटों के भीतर दें।

5 अगस्त, 2026

शाहरोज

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not For Legal Use

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”